कार्यालय महानिदेशक पुलिस,राजस्थान, जयपुर।

क्रमाकः- 573-654 दिनांकः- 15/01/2025

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर,
समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राज.,
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज.।

विषयः–हथकड़ी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रणाली

जब कोई बंदी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी के पश्चात उसके अभिरक्षा से निकल भागने की संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कैदी को सामान्यतया हथकड़ी लगाकर परिरूद्ध किया जाता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43 की उपधारा (3) में बंदी के हथकड़ी लगाने बाबत् प्रावधान किये गये है।

हथकड़ी का प्रयोग कब किया जायेगाः–

पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है,

किसी व्यक्ति के विरूद्ध निम्न वर्णित अपराध का आरोप हो तब पुलिस अधिकारी ऐसे आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक प्रतीत होने पर कारणों को अभिलिखित करते हुए हथकड़ी का प्रयोग कर सकता हैः–

- जब आरोपी अभ्यासिक या आदतन अपराधी हो
- जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागा हो
- जब ऐसे व्यक्ति पर संगठित अपराध का सदस्य होने का आरोप हो।
- जब ऐसे व्यक्ति ने आतंकवादी कृत्य किया हो।
- जब ऐसे व्यक्ति पर औषध सम्बन्धी अपराध का अभियोग हो।
- जब ऐसे व्यक्ति पर अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे का आरोप हो।
- जब ऐसा व्यक्ति हत्या का आरोपी हो।
- जब ऐसे व्यक्ति पर बलात्संग का आरोप हो।
- जब ऐसे व्यक्ति ने अम्ल हमला किया हो।
- जब ऐसे व्यक्ति ने सिक्कों और करेन्सी नोट का कूटकरण किया हो।
- जब ऐसा व्यक्ति मानव दुर्व्यापार में शामिल रहा हो।
- जब ऐसे व्यक्ति पर बच्चों के विरूद्ध अपराध का अभियोग हो।
- जब ऐसे व्यक्ति ने राज्य के विरूद्ध अपराध किया हो।

अन्य सावधानियां:–

- जब बंदी का आचरण या चरित्र इस प्रकार का है कि जिसमें उसे हथकड़ी लगाना आवश्यक प्रतीत होता है तब पुलिस अधिकारी केस डायरी में हथकड़ी लगाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगा;
- धारा 43 की उपधारा (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उल्लेखित अपराधों से आरोपित बंदी के सम्बन्ध में केवल उन अपवादित परिस्थितियों में हथकड़ी लगानी चाहिए जहां कैदी के अभिरक्षा से भाग जाने का स्पष्ट और विद्यमान खतरा हो या जहां सम्बन्धित कैदी इतना अधिक हिंसक हो कि अन्यथा उसे काबू ना लाया जा सकता हो तो कारणों को स्पष्ट अभिलिखित करते हुए हथकड़ी लगाया जाना युक्तियुक्त है।
- पुलिस अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि बंदी को हथकड़ी लगाने से अनावश्यक शारीरिक पीड़ा या क्षति कारित नहीं हो।
- हथकडी लगाना गिरफ्तारी की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा नहीं है इसलिए जब तक धारा 43 की उपधारा (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उल्लेखित अपराधों का आरोप नहीं हो एवं आवश्यक परिस्थितियों के अभाव में हथकडी लगाना विधिसम्मत नहीं है इसलिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी हथकड़ी लगाते समय आवश्यक रूप से सभी कानूनी उपबन्धों की पालना सुनिश्चित करेगा।
- पुलिस अधिकारी हथकड़ी लगाने के पश्चात बंदी की सार्वजनिक परेड नही निकालेगा।
- पुलिस अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान देगें कि हथकड़ी लगाने के पश्चात बंदी का सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो अपलोड नहीं किया जायें।

(यू. आर. साहू)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.बी., साईबर काईम एवं टैक्नीकल सर्विसेज राज0।
2. महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राजस्थान।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज, राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस./एस.ओ.जी. राजस्थान जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजरथान जयपुर।